

**कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)**

क्रमांक : 1084-1126

दिनांक : 24/3/2025

**:- कार्यालय आदेश :-**

मैं मौहम्मद आजम, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह अप्रैल-2025 में पड़ने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ, जो अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	अवकाश तिथि	मोबाईल नंबर
1	श्रीमती निधि शर्मा ए.सी.जे.एम. नंबर - 3 कोटा	06.04.2025	9785188980
2	श्री निखिल टांक न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (उत्तर), कोटा	10.04.2025	9644482989
3	श्री अक्षय ताम्बी न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (दक्षिण), कोटा	12.04.2025	9309371600
4	श्रीमती कुसुम मीणा ए.सी.जे.एम. नंबर - 2 कोटा	13.04.2025	8287764226
5	श्री रोहित सक्सेना किराया अधिकरण, कोटा	14.04.2025	9414967750
6	श्रीमति गुंजन सिंह ए.सी.जे.एम. (पी.सी.पी.एन.डी.टी) कोटा	18.04.2025	8003731984
7	श्रीमती मनदीप न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 (उत्तर), कोटा	20.04.2025	9462577987
8	श्री अजय प्रताप सिंह ए.सी.जे.एम. नंबर - 6 कोटा	26.04.2025	9461968456
9	श्रीमती मनीषा अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 (उत्तर), कोटा	27.04.2025	8980520737

**नोट:-**

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट